

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 276/2017 वाद

नारायण चमार

// बनाम //

राज० सरकार



दावा धारा 88,188 रा०का०अधि०

निर्णय

दिनांक 13.08.2019

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी अनुपस्थित । वकील वादी एवं वादी को तीन बार आवाज लगाई गई । उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

